

16 साल के छत्र ने मेट्रो के आगे लगाई छलंग, सुसाइड नोट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली के गजेट नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के छत्र ने राबर्ट प्लेस मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे नुदकर जान दे दी। घटना मंगलवार सुबह हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, छत्र के स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि स्कूल के कुछ शिक्षक उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। नोट में उसने परिवार से माफ़ी मांगते हुए अपने अंग दान करने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने यह भी लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ स्कूल का स्टफ है और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। परिवार का कहना है कि लड़का कई बार घर आकर बताता था कि कुछ शिक्षक उसे छोटी-छोटी बातों पर डाँटते हैं, क्लास में बेइजत करते हैं।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 42 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 21 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अदालत बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती; राष्ट्रपति संदर्भ केस में सीजेआई की पीठ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई संविधानिक अदालत, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसएस चंद्रकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनीं और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को राय विधानसभा से पारित विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए न्यायपालिका कोई समयसीमा तय नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुआई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति की तरफ से अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 संविधानिक

प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह विषय संविधानिक पदाधिकारियों के विवेक और संघीय ढाँचे की मर्यादा से जुड़ा है। अदालत ने माना कि विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका संविधानिक कर्तव्य है, पर न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए इसकी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को क्षति पहुंचाती है, इसलिए इन पदों से अपेक्षा है कि वे उचित समय के भीतर निर्णय लें। संविधानिक प्रावधान और राष्ट्रपति का कदम राष्ट्रपति ट्रिपटी मुर्मु ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या न्यायालय यह तय कर सकता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों पर कब तक निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने पांच प्रश्नों के संदर्भ पत्र में



14 सवाल रखे हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है। यह सवाल मुख्य रूप से अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़े हैं, जिनमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र है। राष्ट्रपति मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये 14 सवाल राज्यपाल के समक्ष अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास क्या विकल्प है?

क्या राज्यपाल इन विकल्पों पर विचार करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है? क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों को

समयसीमा तय कर सकती हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है? क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है? क्या अदालतें अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की समयसीमा तय कर सकती हैं? अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसलों पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संविधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है? क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राय सरकार कानून लागू कर सकती है?

क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को भेजने पर फैसला कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में खलता हो? क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसको इजाजत देता है कि कोर्ट और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? तमिलनाडु केस और समय सीमा 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए बिलों पर फैसला देते हुए पहली बार यह कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से भेजे गए किसी भी बिल पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं थी।

पढ़े-लिखे आतंकवादी ज्यादा खतरनाक, दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों को देश की आजादी पर हमला और सरकार बदलने की सोची-समझी साजिश करार दिया और उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं का गुरुवार को कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुए धमाके का हवाला देते हुए कहा कि जब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादियों बन जाते हैं, तो वे जमीनी कार्यकर्ताओं से कहीं यादा खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाया। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए



दिखाया गया था। वकील ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं। जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एस.वी. राजू ने कहा कि निचली अदालत को टायल तेज करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं। चाहे कोई 5.5 साल से जेल में हो, ये बेल देने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए।

ट्रंप के दौर के दौरान किया गया प्रोटेस्ट ट्रंप ने कहा कि सीएफ प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौर के साथ टाइम किया गया था। राजू ने कहा कि इनका आखिरी इरादा सरकार बदलना है। सीएफ के विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुमराह करने वाले थे, असली मकसद सरकार बदलना, आर्थिक तंगी पैदा करना और पूरे देश में अफरा-तफरी फैलाना था।

दौरे जानबूझकर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर के साथ करवाए गए थे। ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से यादा खतरनाक हैं। एंटी-ट्रेडर कानून के तहत मामला खालिद, इमाम, गुलाफिशा फातिमा, मोरान हेदर और रहमान पर UAPA, जो सख्त एंटी-ट्रेडर कानून है, और पहले के IPC के नियमों के तहत 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और हिंसा नागरिकता (संशोधन) एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। एक्टिविस्ट की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तर्क दिया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि देश की आजादी पर एक सोचा-समझा, पहले से प्लान किया हुआ और अखंड तरह से डिजाइन किया गया हमला था।

कांग्रेस को असहज करने वाली तस्वीर: इंदिरा गांधी ट्रस्ट के कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर, भाजपा का सीधा वार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर की कथित मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैक्लेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर को प्रमुख अतिथि के रूप में बिठाया। मालवीय ने कहा कि 1984 के सिख नरसंहार में टाइटलर की सीलपत्रा पॉइंटों की गवाही, आयोगों और दशकों की खोजबीन के जरिए सदिह से परे साबित हो चुकी है। भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा, गांधी परिवार द्वारा उन्हें संरक्षण देना और उन्हें वेध उठाना सिख समुदाय के लिए एक भयावह संदेश है- कांग्रेस को 1984 के लिए न तो कोई पछतावा है और न ही कोई खेद। यह जानबूझकर किया गया कदम कोई संयोग नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि पार्टी भारत के सबसे काले और सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक को

कितनी हल्के में लेती है। सिख समुदाय को इसे उसी रूप में देखना चाहिए जैसा यह है- यह एक राजनीतिक संकेत है कि कांग्रेस 1984 के नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार करने से इनकार करती है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। स्मृतियों को दबाया नहीं जा सकता। और जवाबदेही को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में टाइटलर की मौजूदगी ने विवाद खड़ा कर दिया था। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था- जगदीश टाइटलर, वह व्यक्ति जिसने राजीव गांधी के इशारे पर सिखों का नरसंहार किया था, एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के साथ देखा गया। कुछ दाग मिटते नहीं, चाहे कितना भी समय बीत जाए। गांधी परिवार भी बेबाक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में देश भर में 3,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। उस समय सबसे भीषण हिंसा दिल्ली में हुई थी।

दिल्ली ट्रेड फेयर का हुआ भव्य आगाज, तभी अचानक से पहुंच गए तालिबान के मंत्री



नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान (भारत मंडपम) में चल रहे 44वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 19 नवंबरसे आमजन की एंटी शुरू हो गई है। ऐसे में अब यहाँ रोजाना दर्शकों की अख्ख-खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राय एंव केंद्र शामिल प्रदेश शिरकत कर रहे हैं। करीब एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा जहाँ आधुनिक डिजाइनर ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित हाथ स्कवायड के करतब भी देखे जा सकेंगे।

तालिबान के वाणिज्य मंत्री नुरुद्दीन अजी का भारत दौरा खूब चर्चा में। वह पांच दिनों के लिए भारत आई और इस दौरान उनका मुख्य फोकस भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना है। अपने दौर की शुरुआत में ही अजी सीधे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचकर उन्होंने कई स्टॉल्स भी देखे। उन्होंने कहा भारत में मौजूद अफगान कारोबारियों से बाजार की संभावनाओं पर बातचीत भी की। भारत के ट्रेड फेयर में किसी तालिबानी मंत्री का यह पहला दौरा है। क्योंकि 2021 के बाद से

अफगानिस्तान से कोई बड़ा प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। बॉर्डर पर झड़प के बाद पाकिस्तान ने कई बार अपनी सीमाएं बंद कर दी जिससे अफगानिस्तान के फलों और अन्य निर्यात को भारी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ही अफगानिस्तान अब भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है और यही वजह है कि अजी का भारत आना और एक बड़े ट्रेड फेयर में शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान अब नए विकल्प खोज रहा है और भारत उसकी मदद के लिए आगे खड़ा है। अफगानिस्तान के मंत्रियों का भारत दौरा यह दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत के ट्रेड फेयर में तालिबान के वाणिज्य मंत्री की मौजूदगी ना केवल दोनों देशों के बढ़ते आर्थिक रिश्तों का संकेत है बल्कि यह पाकिस्तान को यह संदेश भी देता है कि अफगानिस्तान अब व्यापार के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है और अब वो उसकी निर्भरता से बाहर निकलकर वैकल्पिक साझेदारों की ओर बढ़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, सेना टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 4 दिसंबर तक टाली कार्यवाही

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह राहत उन्हें भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में दी गई है। अदालत ने राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। एक मीडिया एजेंसी के अनुसार जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए यह रोक आगे बढ़ाई। कोर्ट ने बताया कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया था। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अधीनस्थ अदालत के समान आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को 29 मई को खारिज कर दिया गया था। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना की गई टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने सीमा पर भारत का 2,000 वर्ग



किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया है और अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जवानों को खदेड़ दिया है। यह मामला लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस ऑगरस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन साथ ही उनकी टिप्पणी पर गहरी नायजगी भी जताई थी।- आपको मीडिया या सोशल मीडिया पर ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या आप वहाँ थे?

आपको कैसे पता कि 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया गया है? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? बेंच ने स्पष्ट कहा था, बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे। राहुल गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी के अधिकार की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने असहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें यह अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है।

पड़ोसियों के साथ रखें अच्छा व्यवहार: मौलाना फलाही

मुरादाबाद।

जमात-ए-इस्लामी हिन्द, उत्तर प्रदेश पश्चिम के अमीर-ए-हल्का मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने (पड़ोसी अधिकार) विषय पर आधारित दस दिवसीय विशेष अभियान के शुभारंभ की घोषणा की है। यह अभियान 'मिसाली पड़ोस डू मिसाली समाज' के नारे के साथ 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे हल्के में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पड़ोसियों के साथ सौहार्द, भलाई, सहयोगपूर्ण संबंधों तथा सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने की भावना को पुनर्जीवित करना है। मीडिया के लिए जारी बयान में मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने कहा कि इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान

पड़ोसियों के अधिकारों पर जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने दस दिवसीय देशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ

देता है और इसे शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव मानता है। उन्होंने कहा कि कुरआन ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि मुसलमान न केवल अपने करीबी पड़ोसियों, बल्कि सहकर्मियों, सहयात्रियों और राहगीरों तक के साथ भी उत्तम व्यवहार करें। उन्होंने कहा



कि इस अभियान का उद्देश्य इन शिक्षाओं की याद दिलाना तथा मुसलमानों को एक आदर्श पड़ोसी बनने की प्रेरणा देना है, ताकि व्यापक समाज के सामने इस्लाम का

नमी, सहनशीलता और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो इससे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होता है। उन्हें उम्मीद है कि यह अभियान न केवल आपसी विवादों को कम करने में मददगार साबित होगा बल्कि इस्लामी मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और हृदय की संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण संदेश भी देगा। अभियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्वीनर मौलाना अतीक अहमद इस्लामी ने बताया कि शहरी जीवन में बढ़ती दूरी, अकेलेपन और पड़ोसी संबंधों की कमजोरी को देखते हुए अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है।

वास्तविक और सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया जा सके। मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने कहा कि अच्छा पड़ोस किसी भी आदर्श समाज की बुनियाद है। जब लोग अपने पड़ोसियों के साथ

प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनमें विभिन्न धर्मों के पड़ोसियों से मुलाक़ात, चाय परिचर्चाएँ, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, सफाई अभियान, ट्रैफिक जागरूकता रैलियाँ और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। अभियान के अंतर्गत गैर-मुस्लिम भाइयों एवं बहनों से संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, अंतरधार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रति व्यापक भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही 'अपने पड़ोसी को जानिए' जैसे कार्यक्रम, मोहल्ले में सांस्कृतिक सभाएँ तथा फ़ॉलो-अप के लिए स्थानीय समितियों का गठन भी किया जाएगा, ताकि यह संबंध अभियान के बाद भी कायम रह सकें।

एसआईआर व पुनरीक्षण में शिथिलता पाये जाने पर दण्डित होंगे अधिकारी : डीएम



बहराइच।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण, 2025 में संभावित डुप्लीकेट वोटों के सत्यापन व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एस.आई.आर. अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अश्वय त्रिपाठी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य को भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाय।

डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया कि किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर आयोग के संज्ञान में लाते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एस.आई.आर. की समीक्षा करते हुए समस्त ईआरओ/उप जिलाधिकारी तथा आईआरओ/बीडीओ, बीईओ व चकबन्दी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर 50 प्रतिशत डिजिटल इजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। डीएम श्री त्रिपाठी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि सीडीपीओ के अधीन कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक

नामावली के वृहद् पुनरीक्षण एवं एसआईआर के कार्य में सहयोग प्रदान करें। विधानसभावार समीक्षा के दौरान पर्याप्त व बलवत्ता को प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये। सभी ईआरओ को यह भी निर्देश दिया गया कि अपरिहार्य व विषम परिस्थितियों में ही बूथ लेबिल अधिकारियों को बदला जाये। पंचायत निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हो रहे। सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/ सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.), तहसीलदार/ अति. सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.), बीडीओ व बीईओ को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में शेष सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं पर अन्तिम रूप से निर्णय लेकर ऑनलाइन फीडिंग करा दिया जाए। सहयोग के लिए रोजगार सेवक, शिक्षामित्र, अध्यापकों, सहायिकाओं का विशेष सहयोग लिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि 30 नवम्बर 2025 तक क्रांटेम पूरा कर लिया जाय। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेनों का संचालन



गोरखपुर।

भारतीय रेल श्री गुरु तेग बहादुर जी-सिखों के नौवें गुरु, तथा हिंदू दो चादर-की पावन शहादत को नमन करते हुए विशेष ट्रेनों की एक श्रृंखला चलाने जा रही है।

यह सूचना देते हुए रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की सर्वोच्च शहादत सत्य, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अमर संदेश है। भारतीय रेल इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज,

सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। श्री रवनीत सिंह ने बताया कि भारतीय रेल श्री आनन्दपुर साहिब और दिल्ली की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन करेगी। ये ट्रेनें बड़े पैमाने पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित करेंगी।

1. पटना साहिब विशेष ट्रेन (सभी श्रेणी)

*22 कोच वाली यह विशेष ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन

सुबह 4:15 बजे आनन्दपुर साहिब पहुँचेगी।

*वापसी यात्रा 25 नवंबर को रात 9:00 बजे आनन्दपुर साहिब से शुरू होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुँचेगी।

*मार्ग में लखनऊ, मुरादाबाद और अम्बाला स्टेशनों पर उतराव होगा।

2. पुरानी दिल्ली विशेष ट्रेन (सभी एसी)

*यह 17 कोचों वाली विशेष सेवा 22, 23, 24 और 25 नवंबर को प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे पुरानी दिल्ली से चलेगी और दोपहर 1:45 बजे आनन्दपुर साहिब पहुँचेगी।

*वापसी यात्रा प्रतिदिन रात 8:30 बजे आनन्दपुर साहिब से प्रारंभ होकर सुबह 3:15 बजे दिल्ली पहुँचेगी।

*दोनों दिशाओं में ट्रेन सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सरहिंद और न्यू मॉरिडा स्टेशनों पर रुकेगी। श्री रवनीत सिंह ने कहा कि ये विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ बनाने के भारतीय रेल के दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। भारतीय रेल गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत को नमन करते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए सेवा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

छात्रवृत्ति के लिए समय सारणी में बदलाव

मुरादाबाद। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तुलिका शर्मा ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छेड़कर) योजना के अन्तर्गत वित्त समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की तिथि 20 नवम्बर से 26 नवम्बर 2025 तक है, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि के सत्यापन की तिथि 01 दिसम्बर 2025 है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि के सत्यापन की तिथि 04 दिसम्बर 2025 है, छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 नवम्बर से 26 नवम्बर 2025 तक है, शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित किये जाने की तिथि 03 दिसम्बर 2025 है, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने की तिथि 04 दिसम्बर से 09 दिसम्बर 2025 तक है, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करने की तिथि 16 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक है एवं धनराशि के अन्तरण की तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित है।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 5421 किसानों के खाते में भेजे गए 2.49 करोड़ रुपए

मुरादाबाद। वर्ष 2025 में आई बाढ़/अतिवृष्टि के कारण जनपद के प्रभावित 5910 कृषकों के सापेक्ष 5421 कृषकों के खाते में करीब 2.49 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय ने बताया कि अवशेष 489 कृषकों के बैंक खाते अपडेट न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। संबंधित तहसीलदार द्वारा इन सभी कृषकों से पुनः सही बैंक खाता प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में तहसील मुरादाबाद के 3459, तहसील कांठ के 1148, तहसील ठाकुरद्वारा के 783 और तहसील बिलारी के 31 कृषक शामिल हैं।

कुंदरकी में विधायक की अगुवाई में निकला यूनिटी मार्च

मुरादाबाद।

भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशाल यूनिटी मार्च एकता पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने उपस्थित नागरिकों और विद्यार्थियों को देश की एकता-अखंडता बनाए रखने तथा नरेश से दूर रहने की शपथ दिलाई। यह एकता पदयात्रा कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों से होती हुई शिव मंदिर गोविंदपुर कलां चौराहा पर एकत्र होकर प्रारम्भ हुई और कल्याण सिंह पब्लिक स्कूल सैफपुर पल्ल में संपन्न हुई, जहाँ समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल्याण सिंह पब्लिक स्कूल सैफपुर पल्ल में समापन कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। समापन कार्यक्रम पर आयोजित सभा में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद सरदार



वल्लभभाई पटेल ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 500 से अधिक रियासतों का आजाद भारत में विलय कराया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। सूर्य प्रकाश पाल ने आगे कहा कि जब भारत एक हो गया और उसकी एकता-अखंडता मजबूत हो गई, तब इसकी सुरक्षा पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बताया कि सरदार पटेल के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को आज प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में ऐसी एकता यात्राएँ निकाली जा रही हैं, जो एकता और अखंडता का संदेश देती हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, एकता की भावना को मजबूत करना और सरदार पटेल के एक भारत, अखंड भारत के अटूट विश्वास को आगे

बढ़ाना है। कार्यक्रम में एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, जिला महामंत्री कमल कुमार प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख डॉ नवदीप यादव , मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नीरज चंद्रा, संजय कश्यप , बबलू जाटव , जिला पंचायत सदस्य जेपी सैनी, रोहित सिंह, सोनू रस्तौगी, रविंद्र सिंह, नसीम खान, संजय दिवाकर, अरविन्द ठाकुर सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ, भाजपा पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

